न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–77 / 2019

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–15.07..2019

उनवान

रामदेव पुत्र रामलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक

(कुल कस 05 वादीगण)

बनाम

बरजी पुत्री तेजा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक

(कुल कस 20 प्रतिवादीगण)

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89,90, 91 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री कमलेश गुर्जर

निर्णय दिनांकः–28.08.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी खसरा न0 1486, 1728, 1731 कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम पीपलू तह0 पीपलू में स्थित हैं जो वर्तमान में रामलाल पुत्र तेजा, लादी बेवा तेजा, बरजी पुत्री तेजा जाति माली की खातेदारी में दर्ज हैं। इसके अलावा भूमि आराजी ख0न0 1886 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व ख0न0 1888 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन चाह वाकै ग्राम पीपलू में स्थित हैं जिसमे 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 19 के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

हैं शेष 1/2 हिस्सा रामलाल पुत्र तेजा, लाड़ा बेवा तेजा, बदाम, रामप्यारी, बरजी पुत्री तेजा के नाम दर्ज हैं। इनमें से रामलाल पुत्र तेजा, लाड़ा बेवा तेजा, बदाम पुत्री तेजा, रामप्यारी पुत्री तेजा का देहान्त हो चुका हैं। रामलाल पुत्र तेजा के वारिसान वादीगण हैं। बदाम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 हैं तथा रामप्यारी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07 ता 09 हैं और लाड़ा बेवा तेजा के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से हैं। मृतक के वारिसान को विरासत प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हैं। वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में रामलाल पुत्र तेजा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें और लादी बेवा तेजा के हिस्से 1/3 में से वादीगण को हिस्सा 1/4 का व प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा 1/4 का व प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 को हिस्सा 1/4 का व प्रतिवादी संख्या 07 ता 09 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा वादपत्र के पैरा संख्या 02 में अंकित गैर मुमकिन चाह में लाड़ा बेवा तेजा का हिस्सा उसके पुत्र रामलाल के वारिसान एवं पुत्री बरजी एवं मृतक पुत्रियॉ बदाम व रामप्यारी के वारिसान के नाम अंकित किया जावें। जिसके लिए वादीगण द्वारा यह उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादी ने अपने वाद पत्र के सम्बध में नकल जमाबन्दीयॉ, रामलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, लादी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, रामप्यारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, रामअवतार पुत्र औंकार माली द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र वारिसान बाबत् की प्रति, बदाम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति तथा ग्राम पंचायत देशमा द्वारा बदाम के वारिसानों के सजरें की प्रति पेश की। वाद के समर्थन में रामदेव ने अपना शपथ पत्र बतौर गवाह प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अधिवक्ता ने इकबाली जवाब दावे के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा न0 1486, 1728, 1731 कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम पीपलू तह0 पीपलू में रामलाल पुत्र तेजा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं और लादी बेवा तेजा के हिस्से 1/3 में से वादीगण को हिस्सा 1/4 का व प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा 1/4 का व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

संख्या 02 ता 06 को हिस्सा 1/4 का व प्रतिवादी संख्या 07 ता 09 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भूमि आराजी ख0न0 1886 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व ख0न0 1888 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन चाह वाकै ग्राम पीपलू में तेजा के वारिसान के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में से वादीगण को हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण संख्या 01 को हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 07 ता 09 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू उक्त निर्णय एवं हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू